

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

पशु वध करने के लिए ले जाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 भैंसा व पिकअप भी बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान पशुवध, अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर के नेतृत्व में मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिन्द्रा पिकप में क्रूरता पूर्वक पशु लाद कर वध हेतु ले जाया जा रहा है, कि उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सिकठी मोड़ पर पहुंच कर सघन चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान एक पिकअप आती हुयी दिखाई दी कि रूकने का इशारा किया गया कि गाड़ी रूकते ही गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति उतर कर भागना चाहे तभी पुलिस टीम द्वारा दिनांक – 28.06.2021 को समय 19.00 बजे दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः 1. मो0 खालिद पुत्र मरहुम अब्दुल रशीद निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (पिकअप चालक) व 2. सादिक पुत्र आफताब आलम निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा पकड़ी गई पिकअप से एक अदद भैंसा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-133/2021 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम व 207 एमवी एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि लोग कसाई है, पिकअप में जो भैंसा लदा है। उसको काटने के लिए कस्बा मुबारकपुर लेकर जा रहे थे, काटने के बाद उसके मांस को लोग बेचते हैं। यही हमारा धन्धा व रोजी रोटी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. मो0 खालिद पुत्र मरहुम अब्दुल रशीद निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (पिकअप चालक)
2. सादिक पुत्र आफताब आलम निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद भैंसा
2. एक अदद महिन्द्रा पिकअप

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 133/2021 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम व 207 एमवी एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

1. उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 मिथिलेश कुमार शाह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 मनोज सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर**बहला फूसला कर लडकी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक – 16.06.2021 को आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक की पुत्री जिसकी उम्र 18 वर्ष 6 माह है घर से बिना बताये कही चली गयी है जिस सम्बन्ध थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज की गयी थी तत्पश्चात दिनांक- 28.06.2021 को पुनः आवेदक द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री को पड़ोसी सुनील पुत्र झिनकू बहला फूसला कर भगा ले गया है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर के नेतृत्व में मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धित अपराध होने के कारण मामले को प्राथमिकता से लेते हुए नामजद अभियुक्त व पीड़िता की तलाश में मामूर थे कि सूचना मिली कि सठियाँव सिक्स लेन के पास अभियुक्त व पीड़िता है जो कही भागने की फिराक में है, कि पुलिस टीम तत्परता करते हुए सठियाँव सिक्स लेन पूल के नीचे पहुँची, जहाँ पर अभियुक्त पीड़िता के साथ मौजूद था अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक- 28.06.2021 समय 16.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पीड़िता को महिला आरक्षी के अभिरक्षा में दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 132/2021 धारा 363 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त सुनील पुत्र झिनकू निवासी फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र चौकी प्रभारी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 मुन्ना यादव, थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 विश्व प्रकाश दिपक, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. म0का0 समा आफरीन, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.06.2021 को आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि गाँव के शिवसागर यादव पुत्र भक्तू यादव प्रार्थिनी को शादी का लालच देकर 3 साल से शारीरिक सम्पर्क कर रहे हैं। प्रार्थिनी जब भी शादी का दबाव बनाती है तो बहाना बनाकर टाल देते हैं। प्रार्थिनी को लगभग 05 महिने का गर्भ ठहर गया था लेकिन शिवसागर ने धोखे से दवा देकर गिरवा दिया और प्रार्थिनी से शादी नहीं कर रहा है। प्रार्थिनी का 10 हजार रुपया भी ले लिया है। माँगने पर मारने पीटने की धमकी देता है जब प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत शिवसागर यादव के माता पिता से की तो उन लोगों ने प्रार्थिनी को भद्दी भद्दी गाली दी और मारा पीटा और प्रार्थिनी के चरित्र पर ही लांछन लगाने लगे कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर के नेतृत्व में मामले को गम्भीरता से लेते हुए मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी कि सूचना प्राप्त हु ई कि अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में मोलना मोड़ पर सवारी गाड़ी के इन्तेजार में खड़ा है कि सूचना पर मुबारकपुर पुलिस टीम तत्परता करते हुए मोलना मोड़ पर पहुंच कर अभियोग से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त शिवसागर यादव पुत्र भक्तू यादव निवासी हाजीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक- 29.06.2021 समय 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 131/2021 धारा 376,406,313,323,504,506 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त शिवसागर यादव पुत्र भक्तू यादव निवासी हाजीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 29.06.2021 को व0उ0नि0 केशर यादव मय राह का 0 सन्तोष, का0 राहुल सिंह ईगल मोबाइल के कर्म 0गण का0 अवनीश सिंह, का0 शशांक मिश्रा के रवाना शुदा रो 0 आम तारिखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र तलाश वाँछित अपराधी रजादेपुर में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु 0अ0 सं0 133/2021 धारा 147/323/452/504/304 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त गोरखपुर भागने की फिराक में मोचीपुर मोड़ पर वाहन के इंतेजार में खड़े है इस सूचना पर विश्वास कर व 0 उ0नि0 मय राह कर्म 0गण मय मुखबिर के रवाना होकर मोचीपुर मोड़ से कुछ पहले पहुँचे ही थे कि मुखबिर खास इशारा कर हट बढ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दविश देकर दोनो ब्यक्तियों के पकड़ लिया गया। पकड़े गए ब्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम (1) नवाजिश पुत्र तारिक निवासी अँजान शहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़ (2) मो0 राजिक पुत्र इसरार अद उर्फ असरार अद निवासी अँजान शहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताए कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफता बाकायदा समय करीब 10.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- नवाजिश पुत्र तारिक निवासी अँजान शहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 2- मो0 राजिक पुत्र इसरार अद उर्फ असरार अद निवासी अँजान शहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0 सं0 133/2021 धारा 147/323/452/504/304 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 राहुल सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सन्तोष यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 अवनीश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 शंशाक मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना-निजामाबाद

छेड़छाड़ के अभियोग में नामजद बाल अपचारी गिरफ्तार

दिनांक 27.06.21 को वादिनी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.06.21 को खुद के साथ रात में सोते वक्त बाल अपचारी शत्रुघन तिवारी पुत्र श्यामरतन तिवारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा गलत नियत से छेड़छाड़ किये जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/21 धारा 354 ख भादवि में अभियोग पंजीकृत कराना।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें नामजद अभियुक्त / बाल अपचारी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रहीमुद्दीन मय हमराहीके मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त / बाल अपचारी की गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त / बाल अपचारी शत्रुघन तिवारी पुत्र श्यामरतन तिवारी साकिन टुण्डवल थाना निजामाबाद आजमगढ़ कहीं भागने के फिराक में लाहीडीह बाजार में कहीं छिपकर बैठा हुआ है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही के लाहीडीह बाजार पर पहुँचे की मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास जैसे ही पुलिस टीम पहुँची तो खड़ा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसको तत्काल मौके पर ही समय करीब 10.30 बजे घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शत्रुघन तिवारी पुत्र श्यामरतन तिवारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 17 वर्ष बताया चूँकि मुकदमा उपरोक्त में शत्रुघन उपरोक्त नामजद अभियुक्त / बाल अपचारी है कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत/ अभिरक्षा पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 130/21 धारा 354 ख भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

संरक्षण में लिया गया बाल अपचारी-

शत्रुघन तिवारी पुत्र श्यामरतन तिवारी थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रहीमुद्दीन थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. हे0का0 सुरेश यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. का0 राजकुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

आबकारी अधिनियम में एक गिरफ्तार

अवैध शराब रोकथाम ववांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.21 को SI मय हमराही कर्म0गण के थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, पेंडिंग विवेचना, तलाश वारंटी तलाश वांछित व विवेचना हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 159/21 धारा 272 , 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़से सम्बन्धित अभियुक्त रजिन्दर यादव S/O रामकेवल यादव उर्फ बुढ़ाई यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ , औघड़गंज बाजार में मौजूद हैं , कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते औघड़गंज बाजार आये जहाँ पर एक व्यक्ति गुमटी के पास खड़ा दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रजिन्दर यादव S/O रामकेवल यादव उर्फ बुढ़ाई यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 272 , 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम का अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मानननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 159/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1- रजिन्दर यादव S/O रामकेवल यादव उर्फ बुढ़ाई यादव R/O नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में 30नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव मय राह हे0का0 रमेश कुमार व हे0का0 सन्तोष यादव थाना
महाराजगंज जनपद आजमगढ़

*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 21 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की
कार्यवाही की गयी है।*